अतिआवश्यक

आज ही जारी हो ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

परिपत्र नं0 4/2003

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिशेष सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान विभाग द्वारा यह प्रोजेक्ट किया है कि वर्ष के दौरान 60-70 करोड़ रूपये तक की सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय ने यह निर्देश भी दिये हैं कि कई कस्बों एंव शहरों में विभाग के स्टोर इत्यादि शहरों के बीच स्थित है जहां भूमि की कीमत अच्छी है । विभाग के भण्डार चौकियाँ शहर के बाहर स्थित अन्य सरकारी भूमि पर स्थापित की जा सकती हैं । इसलिए ऐसी सम्पत्तियों को भी अब चिन्हीकरण किया जाकर निस्तारण किया जाना होगा ।

राज्य सरकार की उपरोक्त नीति अनुसार आप कृपया ऐसी समस्त सम्पत्तियों का चिन्हीकरण एक माह के अन्दर अन्दर करलें । सम्पत्तियों के निस्तारण की विभागीय नीति पहले ही वित्त विभाग से अनुमोदित है । जिन सम्पत्तियों का चिन्हीकरण हो चुका हो उन्हें अगले 15 दिन के अन्दर-अन्दर संबंधित स्थानीय निकायों को निस्तारण हेतु सौंप दें । इस कार्य की प्रगति हेतु संबंधित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे और वे जिला प्रशासन एंव स्थानीय निकायों से सम्पर्क कर इन सम्पत्तियों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठायेंगे ।

इन प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा प्रति पखवाड़े सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में की जावेगी ।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें ।

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान- जयपुर ।

क्रमांक: एफ 78(1)अनु0प्रथम/ए/2003/डी-1500 दिनांक: 27 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान , जयपुर।
3- शासन उप सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग (समस्त) ।
5- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त (समस्त) ।
6- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड( समस्त) ।
7- वरि. निजी सहा. मु0अभि0/पथ/रा.उ.मा./अधी0अभि0(समस्त) मु0अ0कार्या0 के समस्त सैल/अनुभाग ।

अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम, सा0नि0वि0राज0जयपुर